नागरिकों से अपेक्षायें

पर्यावरण संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण प्राविधान कि गये हैं। संविधान के भाग–4 में ''राज्य के नीति निर्देशक तत्वों '' के अन्तर्गत अनुच्छेद 48 (क) के अनुसार :–

'' राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्द्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।''

इसके अलावा वर्ष 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में भी पर्यावरण की रक्षा को शामिल किया गया है। संविधान के भाग 4 'क' के रुप में जोड़े गये मूल संशोधन में अनुच्छेद 51 'क' के खंड (छ) के अनुसार– देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह '' प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है, की रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।''

भारतीय वन अधिनियम–1927 में भी जन सहयोग की अपेक्षा निम्न प्रकार अभिलिखित है :–

अधिनियम की धारा 79 के अनुसार जिस व्यक्ति को आरक्षित वन व संरक्षित वन में कोई अधिकार प्राप्त हो एवं व वनों से वन उत्पाद प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो, उसे वनाधिकारी व पुलिस अधिकारी को निम्न प्रकार सहायता करना अनिवार्य होगा :–

(1) वन में लगी आग को बुझाना, जिसकी सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को हो,

(2) आग को फैलने से बचाने में सहायता करना,

(3) वन अपराध को रोकने में सहायता करना,

(4) वन अपराधियों का पता लगाने तथा पकड़वाने में सहायता करना,

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त कार्य में वांछित नियमों के अन्तर्गत सहायता नहीं करता है, तो उसे एक साल की सजा व जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंडित किये जाने का प्राविधान है।

वन :

वन प्रकृति की अनुपम देन है। यह न केवल लकड़ी, चारा, फल, फूल, दवा, शहद, मोम आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान करते है बल्कि पर्यावरण शुद्ध रखने, भूमि एवं जल संरक्षण तथा वन्यजीवों को आश्रय देने जैसे परोक्ष, पर अधिक महत्वपूर्ण कार्य करते है। वनों के प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव सर्वविदित हैं। प्रत्यक्ष प्रभावों में मनुष्य विभिन्न आर्थिक लाभों यथा चारा, जलौनी, फल, जड़ी–बूटी उद्योगों हेतु कच्चा माल, निर्माण हेतु प्रकाष्ठ से लाभान्वित होने के साथ–साथ आजीविका प्राप्त करता है। परोक्ष प्रभावों में वन ऑक्सीजन उत्सर्जन, जल व मृदा संरक्षण कर मानवता को लाभान्वित करते है। इसके अतिरिक्त वन, भूक्षरण, वायु व जल प्रदूषण निवारण में मददगार है व तापमान तथा वर्षा नियंत्रित कर मानव जीवन की रक्षा करते है। जन जीवन को बाढ़, भूस्खलन, सूखे, प्रदूषण व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त रखने व जल श्रोतों को जीवित रखने का सबसे सरल उपाय वनावरण /वृक्षावरण में वृद्धि है।

हमारी राष्ट्रीय वन नीति–1988 व राज्य वन नीति 1998 के अनुसार एक तिहाई क्षेत्रफल वनों से आच्छादित होना चाहिए पर अभी उत्तर प्रदेश में कुल वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 9.06 प्रतिशत ही है। प्रदेश में 7.05 प्रतिशत वन क्षेत्र, 5.86 प्रतिशत वनावरण एवं कृषि योग्य गैर वन भूमि में वृक्षावरण मात्र 3.20 प्रतिशत हैं। इस प्रकार प्रदेश में वृक्षारोपण में जन सहयोग प्राप्त कर व वृक्षारोपण को जनांदोलन बनाकर ही हम प्रदेश में वनावरण/वृक्षावरण का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यह निर्विवाद रुप से तय है कि हमें वनों को बढ़ाना है पर बढ़ती जनसंख्या शहरीकरण व औद्योगीकरण आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर नये क्षेत्र वनों के अन्तर्गत लाये जा सकने की सीमित संभावनाएं है, किन्तु विभिन्न विकल्पों को अपनाकर वृक्षावरण में वृद्धि की असीमित संभावनाएं है। हरित आवरण में वृद्धि हम सबके सम्मिलित प्रयासों से ही संभव है।

उत्तर प्रदेश में वनः

- उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल – 2,40,927 वर्ग कि.मी.
- उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्रफल – 16,986.22 वर्ग कि.मी. (7.05 प्रतिशत)
- उत्तर प्रदेश में वनावरण – 14118 वर्ग कि.मी. (5.86 प्रतिशत)
- प्रदेश में गैर वन क्षेत्र में वृक्षावरण – 7715 वर्ग कि.मी. (3.2 प्रतिशत)
- प्रदेश में कुल वनावरण व वृक्षावरण – 21833 वर्ग कि.मी. (9.06 प्रतिशत)
- प्रति व्यक्ति वनावरण व वृक्षावरण – 0.01 हेक्टेअर

उत्तर प्रदेश वन विभाग दृष्टि–2025

हमारा लक्ष्य

समाज के व्यापक हित के लिए विश्व स्तरीय वन प्रबन्धनके माध्यम से :–

- जैव विविधता संरक्षण ।
- लाभों एवं सेवाओं की निरन्तर उपलब्धता।
- स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए हरित आवरण का विस्तार।

हमारी अभिलाषा

- जन मानस में जैव विविधता संरक्षण की सोच स्थापित करने हेतु अभिनव प्रयास।
- वन कर्मियों को वन प्रबन्ध की आधुनिकतम व विश्वस्तरीय तकनीक में दक्षता प्राप्त कराना।

हमारा संकल्प

- हम वानिकी क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानक हासिल करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे।

उत्तर प्रदेश वन निगमः

राज्य में वनों के अपेक्षाकृत अच्छे परिरक्षण, पर्यवेक्षण तथा विकास और वन उपज के अपेक्षाकृत अच्छे विदोहन तथा उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए वन निगम की स्थापना की गई । वन निगम के मुख्य कार्य व उद्देश्य निम्न प्रकार हैः–

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये वृक्षों को हटाना और उनका निस्तारण करना तथा वन सम्पदा का विदोहन करना।

(ख) राज्य के भीतर वन विभाग से सम्बन्धित परियोजनायें तैयार करना।

(ग) वन तथा वन उत्पाद से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यक्रम चलाना और वन विज्ञान से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देना।

(घ) ऐसे वनों का प्रबन्ध, अनुरक्षण तथा विकास करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा अन्तरित किये जायें अथवा सौपे जाये।

(ड) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिनकी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाए।

उत्तर प्रदेश वन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रम :

1.संयुक्त वन प्रबन्ध :

प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली–1997 एवं उ0प्र ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली–2002 प्रख्यापित की गयी है। इस नियमावली का प्रमुख उद्देश्य वनों के संरक्षण विकास तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु नियोजन, वन प्रबन्ध तथा वनों से प्राप्त लाभों के वितरण में स्थानीय जनता की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना तथा सहभागिता प्राप्त करना है। इस नियमावली के अनुसार स्थानीय वन पंचायत/ग्राम

वन समिति द्वारा स्वेच्छा एवं संयुक्त रुप से वन क्षेत्र का माइक्रोप्लान के आधार पर रखरखाव एवं अग्रेत्तर विकास किया जाना है। इसके अन्तर्गत ग्राम विकास निधि सृजित होती है जिसमें 20 प्रतिशत योगदान श्रम के रुप में ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। ''देखभाल से भागीदारी'' संयुक्त वन प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

2. इको डेवलेपमेंट कार्यक्रम :

इको डेवलेपमेंट कार्यक्रम संरक्षित क्षेत्रों के भीतर व निकटवर्ती क्षेत्रों की जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने की रणनीति है।

इस रणनीति के द्वारा संरक्षित क्षेत्र और समीपवर्ती गांवों की परिस्थितियों के एक दूसरे पर पड़ रहे पारस्परिक कुप्रभाव को कम करके लाभदायी प्रभाव को बढ़ाया जाना है। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों की चराई, काष्ठ, जलौनी व गैर काष्ठ वन उपज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक समुचित विकल्प उपलब्ध कराने के अवसर के अनुरुप रणनीतियां तैयार की जाती है।

संरक्षित क्षेत्र के सीमावर्ती ग्रामों में इको विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फलदार वृक्षों का रोपण, मत्स्य पालन, मौन पालन, कुटीर उद्योगों का विकास, ईकोटूरिज्म का विकास, वैकल्पिक ऊर्जा के साधन उपलब्ध कराना, पशुओं की नस्ल सुधार करके अनुत्पादक पशुओं की संख्या घटाना आदि से सम्बन्धित कार्य किये जा रहे है।

इन गतिविधियों को संरक्षित क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित सामूहिक व निजी भूमि में लागू किया जा सकता है। इनसे ग्रामवासियों की संरक्षित क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम होती है, एवं उनकी आय भी बढ़ती है।

इको विकास कार्यो के क्रियान्वयन हेत गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) का सहयोग लिया जाता है।

3. पटरी वृक्षारोपण :

वर्ष 2001 में जारी शासनादेश के अनुसार पटरी वृक्षारोपण की अंतिम पंक्ति (खेत की ओर) के वर्तमान वृक्षारोपण का स्वामित्व सन्निकट खेत के स्वामी को अनुबन्ध के आधार पर दिया जाएगा। सन्निकट खेत का स्वामी इसके एवज में प्रथम पंक्ति (सड़क/नहर/रेल लाइन की ओर) की सुरक्षा करेगा। प्रथम पंक्ति के वृक्षों पर स्वामित्व वन विभाग का होगा। इसी प्रकार मध्य पंक्ति के वृक्षों से प्राप्त आय विभाजन संबधित ग्राम पंचायत एवं प्रभागीय वन अधिकारी के मध्य 50–50 के अनुपात में अनुबन्ध के आधार पर होगा।

(शासनादेश सं0–207/14 प.भू.वि. 2001.47/98 दिनांक 05.02.2001)

(शासनादेश सं0–186/14 प.भू.वि. 2001–47/98. दिनांक 19.07.2001)

4. कृषि वानिकी :

कृषकों द्वारा अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर आय का एक अतिरिक्त श्रोत बनाने हेतु वन विभाग द्वारा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वृक्षारोपण हेतु वन विभाग की पौधशालाओं से निर्धारित मूल्य

पर रोपण हेतु पौध उपलब्ध कराई जाती है। विशेष जानकारी सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/क्षेत्रीय वन अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

(शासनादेश सं0–3007/14 प.भू.वि.–93–67/87 दिनांक 26.6.1993)

5.वन विभाग की पौधशालाओं में विक्रय किये जाने वाले पौधों का विक्रय मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है–

शासनादेश सं. 841/14–5–2010–67/87 टी.सी. दिनांक 08.06.2010 द्वारा वर्ष 2010–11 से अग्रिम आदेशों तक वन विभाग की पौधशालाओं से बिक्री किए जाने वाले पौधों का विक्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

क्र0सं0	पौधों की श्रेणी	प्रति पौध विक्रय दर (रुपये में)
1.	एक वर्षीय पौध (अ) थैली (ब) पिण्डी	 4.00 9.00
2	दो वर्षीय पौध (अ) थैली (ब) पिण्डी	 6.00 14.00
3	शोभाकार पौध (गोल्ड मोहर, जकरैडा, अमलतास, सिल्वर ओक, पेल्टोफोरम, बोगेनबीलिया आदि)	14
4.	अति विशिष्ट पौध (अशोक पेण्डुला, सीता अशोक, मौलश्री आदि)	28.00
5.	क्लोनल विधि द्वारा (अ) शीशम (ब) यूकेलिप्टस, पॉपलर	 7.00 19.00
6	हाईटेक पौधशाला में उगायी जाने वाली पौध	8.00
7	• एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पिण्डी पौधों हेतु प्रस्तावित दरों में पिण्डी खुदान व्यय रू. 2.40 प्रति पौधा सम्मिलित है।	

प्रदत्त सुविधाएंः

1. समर्थन मूल्यः

कृषि वानिकी के अन्तर्गत उगाए गए वृक्षों का उचित मूल्य प्रदान करवाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा वृक्ष–क्रय योजना समर्थन मूल्य पर प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत यूकेलिप्टस के वृक्षों का गोलाईवार समर्थन मूल्य व अन्य वृक्षों के प्रकाष्ठ का समर्थन मूल्य के भुगतान करने का प्राविधान किया गया है। समर्थन मूल्य समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधित किए जाते है, नवीनतम समर्थन मूल्यों की जानकारी वन निगम अथवा वन विभाग के निकटतम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

2. वन विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों का सामूहिक बीमा योजना :

वन विभाग उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वन श्रमिकों के हित में 5,000 अनामित वानिकी श्रमिकों का बीमा कराया गया है। उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा मृत्यु की दशा में रू0 50,000/– तथा अपंगता की दशा में अधिकतम रू0 25,000/– क्षति पूर्ति का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार समाज के सर्वाधिक सुविधा हीन वर्ग को लाभ पहुॅचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। दुर्घटना होने पर इसकी जानकारी सम्बन्धित वन अधिकारी को दी जानी चाहिए।

3. वनों से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज को निःशुल्क एकत्र करने का अधिकार :

- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले आदिवासियों/वनवासियों को वन सम्पदा को बिना हानि पहुंचाए आरक्षित वन के अन्दर पाए जाने वाली वन उपज के निःशुल्क संग्रहण की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त सुविधा केवल उन ग्रामों के निवासियों को प्रदत्त होगी जो वन बन्दोबस्त में अधिकार एवं सुविधा हेतु अधिसूचित किए गए है। उक्त निःशुल्क सुविधा के अन्तर्गत एकत्रीकरण केवल ग्रामवासियों द्वारा किया जायेगा, किसी अन्य बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं।

(शासनादेश संख्या–6922/14–2–98–500 (55) /1998, दिनांक 31.3.1999)

- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले आदिवासियों/वनवासियों एवं ग्रामवासियों को वन सम्पदा को बिना हानि पहुंचाए आरक्षित वन के अन्दर पाई जाने वाली वन उपज महुआ (फल, फूल) चिरौंजी (फल), गिरे पड़े ईंधन को निजी उपयोग हेतु निःशुल्क संग्रहण किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। उक्त सुविधा केवल उन ग्रामों के निवासियों को प्रदत्त होगी जो वन बन्दोबस्त में अधिकार एवं सुविधा हेतु अधिसूचित किए गए है। उक्त वन उपज के संग्रहण हेतु समीप के ग्रामवासियों को रोजगार में वरीयता दी जायेगी।

(शासनादेश संख्या–4547/14–2–2000–500 –553/98, दिनांक 31.10.2000)

4. वन्य जीवों से जान माल की हानि की दशा में आर्थिक अनुग्रह सहायता :

वन्य पशुओं द्वारा मारे या घायल व्यक्तियों को व वारिसों को तथा वन्य पशुओं द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने पर एवं जंगली हाथियों द्वारा ग्रामवासियों के मकान व फसल की क्षति की दशा में अनुग्रह आर्थिक सहायता

प्रदान करने की व्यवस्था है।

(शासनादेश संख्या–2384/14–4–96–836/92, दिनांक 6.12.1996)

5. कृषि फसलों को ''वन रोजो '' द्वारा क्षति पहुॅचाने पर उन्हें नष्ट किया जाना :

प्रदेश के कई अंचलों में ''वन रोजों'' द्वारा फसल नष्ट करने पर उन्हें मारने/नष्ट करने के लिए शासन द्वारा जिलाधिकारियों के साथ–साथ सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को अनुज्ञा देने हेतु प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है।

(शासनादेश संख्या–2194/14–2–2001–854/92, दिनांक 28 सितम्बर 2001)

6. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत जन सामान्य को दी जा रही सुविधाएं :

उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत जनसामान्य को कृष्य या अकृष्य जोत पर स्थित वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु निम्न व्यवस्था लागू है :–

अ– निम्न 46 जनपदो (तीन तहसीलों को छोड़कर) में निजी कृष्य या अकृष्य जोत पर उगने वाली 16 वृक्ष प्रजातियों को छोड़कर अन्य प्रजातियों के वृक्षों को अधिनियम के सभी उपबन्धों से छूट प्राप्त है अर्थात् ऐसे वृक्षों को काटने हेतु अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है :–

(शासनादेश संख्या–2758/14–प.भू.वि.. 2000–7–93/98, दिनांक 30.12.2000)

जनपदों नाम के नाम

मुजफ्फरनगर, मेरठ, ग़ाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, रामपुर (पिपली तहसील को छोड़कर), कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, संतरविदासनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर (खड्डा तहसील छोड़कर), बस्ती, सिद्धार्थनगर (नौगढ़ तहसील को छोड़ कर), संतकबीर नगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेदकरनगर, बॉदा।

वृक्षों की प्रजातियां

अखरोट, अंगू, चमखड़िक, जमनोई, नीम, बॉज/खरसू/मोरू, महुआ, साल, पीपल, बरगद/बड़, देवदार, आम (देशी, तुकमी और कलमी), बीजासाल, खैर, शीशम, सागौन।

ब– निम्न 24 जनपदों व तीन तहसीलो में निजी कृष्य या अकृष्य जोत पर उगने वाली 28 वृक्ष प्रजातियों को काटने हेतु किसी प्रकार की अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नही है :–

जनपदों के नाम

लखीमपुर खीरी, आगरा, बिजनौर, इटावा, ज्योतिबाफुलेनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शाहजहॉपुर,, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झॉसी, ललितपुर,इलाहाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, मिर्जापुर, चन्दौली, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज।

तहसीलों के नाम :

पिपली–(जिला–रामपुर), खड्डा (जिला–कुशीनगर), नौगढ़ (जिला–सिद्धार्थनगर)

वृक्षों की प्रजातियॉ :

अगस्त, अरू, उत्तीस, कैजूरिना, जंगलजलेबी, पॉपलर, फराश, बकाइन, विलायती बबूल, बबूल, यूकेलिप्टस, रोबीनिया, वाटल, विलो, सिरिस, सुबबूल, अयार, कठबेर, खड़िक, जामुन, ढाक/फ्लास पेपर, मलबरी, बेर, भीमल/ भेकुला, मेहल, सहजन, शहतूत, ऑवला।

स– निम्न 13 प्रजातियों के पातन पर (अपवाद को छोड़कर–जब तक कि वृक्ष सूख न गया हो या सूख रहा हो या यह व्यक्ति या सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहा हो, या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विकास कार्य के निष्पादन के लिए इसका काटा जाना आवश्यक हो और ऐसे वृक्ष को काटने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो) दिनांक 31–12–2010 तक पूर्ण प्रतिबन्ध है :–

अखरोट, अंगू, चमखड़िक, जमनोई, नीम, बॉज/खरसू/मोरू, महुआ, साल, पीपल, बरगद/बड़, देवदार, आम (देशी, तुकमी और कलमी), बीजासाल।

(शासनादेश संख्या–2759/14–प.भू.वि.. 2000–7–93/98, दिनांक 30.12.2000)

7. अधिसूचना :–

उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग–5 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 328/14–5–2007 –39/2005 दिनांक 20–02–2007 द्वारा आम प्रजाति के वृक्षों की फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट आने की स्थिति में पातन की अनुमति दिये जाने का प्राविधान किया गया है। अधिसूचना के उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2759/14–प.भू.वि./2000–7/93 दिनांक 30 दिसम्बर 2000 के सन्दर्भ में राज्यपाल, लोक हित में इस सीमा तक छूट प्रदान करते हैं कि यदि आम (मैनजीफेरा इण्डिका देशी/कलमी/तुकमी) के ऐसे वृक्ष की फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट आ गई हो तो उसे भी सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति से इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के भीतर काटा जा सकता है। आम की फलदायी क्षमता में भरपूर गिरावट का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

(अधिसूचना संख्या–328/14–5–2007–39/2005 दिनांक 20.02.2007)

8. वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 के मुख्य–मुख्य प्राविधान निम्न प्रकार हैः–

1. वृक्ष पातन या गिरे वृक्षों को हटाने या काटने के पात्र व्यक्ति द्वारा वृक्ष काटने/हटाने के लिए आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के 35 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय सूचित नहीं होने पर मान लिया जाएगा कि वृक्ष पातन/हटाने की अनुमति दे दी गई हैं। इस अवधि के पश्चात्

आवेदन कर्ता वृक्ष काट/हटा सकता है। अतः वृक्ष पातन/हटाने का आवेदन देते समय प्राप्ति रसीद अवश्य ले लें।

2. आवेदित वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पति को खतरा हो तो अनुमति देने से इनकार नही किया जाएगा।

3. आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना वृक्ष पातन/हटाने की अनुज्ञा देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

4. व्यक्तिगगत कृष्य या अकृष्य जोत पर उगने वाली 28 वृक्ष प्रजातियां, प्रदेश में अधिनियम के समस्त प्राविधानों से पूरी तरह से मुक्त हैं।

5. 13 प्रजातियों (जिनमें से प्रदेश में प्राकृतिक रुप से मात्र 7 वृक्ष प्रजातियां पाई जाती है) के कटान पर (अपवाद छोड़कर) प्रतिबन्ध है।

6. उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण संशोधन अधिनियम 1998 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1998) जो दिनांक 1.2.98 से प्रवृत्त है, से किए गए संशोधन के फलस्वरुप शहरी क्षेत्र में स्थित वृक्षों को काटने हेतु भी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

7. अभिवहन को सरल बनाने के उद्देश्य से 42 जनपदों में 20 वृक्ष प्रजातियों को उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी व अन्य '' वन उपज अभिवहन नियमवली 1978'' के अन्तर्गत अभिवहन अनुज्ञा व शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

9. वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 के अन्तर्गत जन साान्य को दी जा रही सुविधाएं :

इस नियमावली के अन्तर्गत इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज का अभिवहन करने के लिए वन विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है परन्तु जन साधारण की सुविधा के लिए निम्न 42 जनपदों में उनके नीचे उल्लिखित वृक्ष प्रजातियों के प्रकाष्ठ के अभिवहन के लिए वन विभाग से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नही है :–

जनपदों के नाम :

मेरठ, बुलन्दशहर, ग़ाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर(पिपली तहसील को नाम छोड़कर), आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़,, मैनपुरी, एटा, बरेली, बदायूँ, शाहजहॉपुर (पुवायां तहसील को छोड़कर) इलाहाबाद (मेजा व बारा तहसील को छोड़कर), फतेहपुर, प्रतापगढ़, हरदोई, फैजाबाद, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर (नौगढ़ तहसील को छोड़ कर), मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रूखाबाद,भदोही, अम्बेदकर नगर, पडरौना (खड्डा तहसील छोड़कर), वाराणसी (चकिया तहसील को छोड़कर)।

वृक्षों की प्रजातियॉ :

अगस्त, अरू, कैजूरिना, जंगलजलेबी, पॉपलर,, फराश, बबूल, विलायती बबूल,रोबीनिया,सिरिस, सुबबूल, कठबेर, जामुन, यूकेलिप्टस, ढाक/पलाश, पेपर मलबरी, बेर, सहजन, आम (देशी, तुकमी एवं कलमी) एवं शहतूत।

(शासनादेश संख्या–2530/14–2–57–377/7 टी.सी., दिनांक 14.8.1997)

उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवायें

क्र सं	सेवा का प्रकार	आवेदन किसे करें	आवेदन प्रक्रिया	समयावधि व विशिष्ट जानकारी	असुविधा होने पर सम्पर्क करे
1.	स्वयं के वृक्ष पातन हेतु अनुज्ञा प्राप्त करना	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी	पातन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ स्वामित्व के सम्बन्ध में खसरा खतौनी की नकल, ग्राम प्रधान, तहसीलदार/ परगना मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र संलग्न हो।	अधिकतम 35 दिन	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक
2.	प्रकाष्ठ के अभिवहन (ढुलान) हेतु अनुज्ञा प्राप्त करना	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी	प्रकाष्ठ अभिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र जिसमें भूमि का विवरण तथा प्रजातिवार वृक्षों की व्यास वर्ग वार नपत व संख्या तथा पातन–अनुज्ञा का विवरण अवश्य अंकित हो	7 से 10 दिन	–तदैव–
3	संयुक्त वन प्रबन्ध योजना को गॉवमें लागू करना	सम्बन्धित क्षेत्रीय वनाधिकारी	चयनित गांव में संयुक्त वन प्रबन्ध योजना आरम्भ करने हेतु ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति क्षेत्रीय वन अधिकारी को उपलब्ध कराना	निश्चित समय सीमा नही	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी
4 (क)	कृषि वानिकी के अन्तर्गत पौध बिक्री	वन विभाग की स्थानीय पौधशाला के प्रभारी	सादे कागज पर आवेदन कर पौध प्राप्त की जा सकती है	मॉग पत्र देने पर उपलब्धता के आधार पर प्रजाति के अनुसार पौध 30–75 से.मी. के मध्य होनी चाहिए। वर्तमान में पौधाशाला में पौध, शासनादेश दिनांक 14.12. 06 द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध है।	सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी
(ख)	पौधारोपण/ पौधशाला के सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी	सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी / सहायक वन संरक्षक/ प्रभागीय वनाधिकारी	रेंज कार्यालय/नर्सरी में तकनीकी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।	सप्ताह में एक दिन क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा वन चेतना केन्द्रों/पौधशाला पर प्रत्येक सोमवार को प्रातः 9 बजे से 1.00 बजे तक	उप प्रभागीय वनाधिकारी/ प्रभागीय वनाधिकारी
5.	वन्य जीव पर्यटन	सम्बन्धित वन्य जीव प्रतिपालक /प्रभागीय	सादे कागज पर आवेदन किया जा सकता है	उपलब्धता के अनुसार	सम्बन्धित वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन संरक्षक

		निदेशक / वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक			
6.	इको डेवलपमेंट योजना लागू करना	सम्बन्धित वन्य जीव क्षेत्र के क्षेत्रीय वन अधिकारी	संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 5 किमी0 दूरी तक स्थित ग्राम इस योजना हेतु पात्रता रखते हैं।	निश्चित समय सीमा नही	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक
7.	वन्य जीवों से जानमाल (पालतू पशु, मानव जीवन, मकान व फसल) की हानि की दशा में आर्थिक अनुग्रह सहायताः (क) वन्य पशुओ (शेर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, हाथी, मगर एवं घड़ियाल) द्वारा व्यक्ति के मारे जाने या घायल होने पर आर्थिक अनुग्रह सहायता	उप वन संरक्षक / उच्च स्तर के अधिकारी	सादे कागज पर राजकीय चिकित्सक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र व वन विभाग के उप वन संरक्षक / उच्चतर स्तर के अधिकारी की पुष्टि आवश्यक है	मृत्यु होने पर अन्त्येष्टि के लिए रू0 3,000 / – की धनराशि का भुगतान तत्काल कर दिया जायेगा जो बाद में स्वीकृत अनुग्रह सहायता से समायोजित कर ली जायेगी। आश्रितों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र आवश्यक है।	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)
	(ख) शेर व गुलदार द्वारा पालतू पशुओं के मारे जाने पर देय अनुग्रह आर्थिक सहायता	सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी	सादे कागज पर पर मवेशी की आयु नाम आदि के सम्बंध में ग्राम प्रधान या क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।	घटना की सूचना 24 घंटे के अन्दर निकटतम वनाधिकारी (सहायक वन्य जीव प्रतिपालक से कम स्तर का नहीं) को दिये जाने पर निरीक्षण तत्काल किया जायेगा। सम्बन्धित उप वन संरक्षक जॉच रिपोर्ट सहित मुआवजा सम्बंधी संस्तुति मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को भेजेंगे। राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव विहार में आर्थिक सहायता तभी देय होगी जब प्रश्नगत पालतू पशुओं को प्रवेश की अनुज्ञा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम –1972 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई हो।	उप वन संरक्षक / उच्चतर अधिकारी

	(ग) जंगली हाथियों द्वारा कृषि फसल व मकान की क्षति	सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी		घटना की सूचना 24 घंटे के अन्दर निकटतम वनाधिकारी (सहायक वन्य जीव प्रतिपालक से कम स्तर का नहीं) को दिये जाने पर निरीक्षण तत्काल किया जायेगा। सम्बन्धित उप वन संरक्षक जॉच रिपोर्ट सहित मुआवजा सम्बंधी संस्तुति मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को भेजेंगे।	उप वन संरक्षक / उच्चतर अधिकारी
8.	कृषि फसलों को वन रोजो द्वारा क्षति पहुॅचाने पर उन्हें मारने / नष्ट करने हेतु अनुज्ञा प्राप्त करना	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उ0प्र0, सम्बन्धित जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी	सादे कागज पर	तीन दिन अधिकतम	सम्बन्धित जिलाधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी
9.	वन निगम से निजी उपयोग हेतु उचित दरों पर गुणवत्ता युक्त प्रकाष्ठ की उपलब्धता 10 घन मी.तक	सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक / विक्रय अधिकारी	सादे कागज पर । प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रतियों सहित	डीपो में प्रकाष्ठ उपलब्ध होने पर अधिकतम 3 दिन के अन्दर	सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक / महाप्रबन्धक उ0प्र0 वन निगम

उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार व प्राणि उद्यानों के सम्बन्ध में सूचना

क्र सं	राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव व पक्षी विहार, प्राणी उद्यान / कहॉ स्थित हैं	स्थापना वर्ष व लखनऊ से दूरी (किमी0)	पाये जाने वाले प्रमुख वन्य जीव / पक्षी	भ्रमण का उपयुक्त समय	सम्पर्क सूत्र
1.	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी (490 वर्ग किमी0)	वर्ष 1977 समीपस्थ हवाई अड्डा लखनऊ 238 किमी0, समीपस्थ रेलवे स्टेशन दुधवा (4किमी0), पलिया (10 किमी0) एवं मैलानी (30 किमी0) समीपस्थ बस स्टेशन दुधवा एवं पलिया	बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, मगर, कछुए, अजगर, सांभर, चीतल, पाढ़ा, काकड़, बारासिंघा, गैंडा, भालू एवं लगभग 400 पक्षी प्रजातियॉ	15 नवम्बर से 15 जून	मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव),उ0प्र0 17– राणा प्रताप मार्ग लखनऊ फोन (0522)– 2206584 फैक्सः 220168 उप निदेशक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पलिया–खीरी फोन एवं फैक्स (05871)– 233485
2.	चन्द्र प्रभा वन्यजीव विहार, जनपद चन्दौली (78 वर्ग किमी0)	वर्ष 1997 समीपस्थ हवाई अड्डा वाराणसी (80 किमी0) समीपस्थ रेलवे स्टेशनः वाराणसी (60 किमी0), मुगलसराय (40 किमी0) समीपस्थ बस स्टेशनः चकिया (20 किमी0)	तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा, चीतल, सांभर, लकड़बग्घा, गीदड़, भेड़िया, सेही, भालू एवं लगभग 150 पक्षी प्रजातियॉ	15 नवम्बर से 15 जून	नियंत्रक अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, रामनगर (चन्दौली), फोन एवं फैक्सः (0542)– 2668231
3.	किशनपुर वन्य जीव विहार, जनपद लखीमपुर–खीरी (204 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1972, समीपपस्थ हवाई अड्डाः लखनऊ (238 किमी0) समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनः मैलानी (20 किमी0)	तेंदुआ, बाघ, बारासिंघा चीतल, पाढ़ा, जंगली– सुअर, गीदड, सेही, ऊदबिलाव, लंगूर तथा बंदर एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी आदि।	15 नवम्बर से 15 जून	निदेशक दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर चीरी फोन एवं फैक्सः 05872–252106 उप निदेशक, पलिया– खीरी फोन एवं फैक्स 05871– 233485
4.	कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार, जनपद–बहराइच (400 वर्ग किमी0)	वर्ष 1976 समीपस्थ हवाई अड्डाः लखनऊ (245 किमी0) समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनः बिछिया (4 किमी0)	तेंदुआ, बाघ बारासिंघा चीतल, पाढ़ा, काला मृग, नीलगाय, गैंडा, घडियाल, मगर, जंगली–सुअर, गीदड, सेही, ऊदबिलाव, तथा बंदर एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी आदि।	15 नवम्बर से 15 जून	प्रभागीय वनाधिकारी, कतर्नियाघाट वन्य प्रभाग, बहराइच फोन एवं फैक्सः 05252–232498

5.	रानीपुर वन्य जीव विहार, बॉदा व चित्रकृट (230 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1977, समीपस्थ हवाई अड्डाः लखनऊ (350 किमी0) समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनः चित्रकूट(4 किमी0)	तेंदुआ, बाघ , सांभर चीतल, नीलगाय, जंगली–सुअर, काला मृग, गीदड,सेही, ऊदबिलाव, तथा बंदर एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी आदि।	नवम्बर से अप्रैल	उप वन संरक्षक, कैमूर वन्य जीव , प्रभाग, मिर्जापुर, फोन एवं फैक्स : (05442)–253126
6.	महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, जनपद ललितपुर (5.4 वर्ग किमी0)	वर्ष 1977, समीपस्थ हवाई अड्डाः झॉसी (125 किमी0), समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनः ललितपुर (30 किमी0)	कालामृग, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर तथा बन्दर एवं विभिन्न पक्षी आदि।	नवम्बर से अप्रैल	उप वन संरक्षक, कैमूर वन्य जीव , प्रभाग, मिर्जापुर, फोन एवं फैक्स : (05442)–253126
7.	राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार, जनपद आगरा व इटावा (635 वर्ग किमी0)	वर्ष 1979, समीपस्थ हवाई अड्डाः आगरा समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनः आगरा एवं इटावा।	घड़ियाल, मगर, गेन्जेटिक डाल्फिन, विभिन्न कछुए, ऊदविलाव, लकड़बग्घा, गीादड़, गोह, चिंकारा, जंगली सुअर, सांभर, कालाहिरण एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी	नवम्बर से अप्रैल	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार, आगरा, फोन एवं फैक्सः (0562)–2320091
8	कैमूर वन्य जीव विहार, जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र की विन्ध्य पर्वत श्रृंखलाओं में (501 वर्ग किमी0)	वर्ष 1982, समीपस्थ हवाई अड्डाः वाराणसी (70 किमी0) समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनः चुर्क (20 किमी0)	कृष्ण मृग, सांभर, चीतल, चिंकारा, चौसिंघा, नीलगाय, भालू, तेंदुआ, वनबिलाव, कराकल, बिल्लू एवं विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी	नवम्बर से अप्रैल	उप वन संरक्षक, कैमूर वन्य जीव , प्रभाग, मिर्जापुर, फोन एवं फैक्स : (05442)–253126
9.	हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर एवं ज्योतिबाफूले नगर (2073 वर्ग किमी0)	वर्ष 1986, समीपस्थ हवाई अड्डाः दिल्ली (110 किमी0) समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनः मेरठ (35 किमी0)	बारहसिंघा, सांभर, चीतल, नीलगाय, भेड़िया, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, वनबिलाव एवं विभिन्न पक्षी आदि।	नवम्बर से जून	उप वन संरक्षक, वन्य जीव प्रभाग, आगरा/मेरठ, फोनः 0121–2543860/ गाजियाबाद/ ज्योतिबाफुले नगर/ बिजनौर
10.	सोहागीबरबा वन्य जीव विहार, महराजगंजः (428 वर्ग किमी0)	वर्ष 1987, समीपस्थ हवाई अड्डाः लखनऊ (300 किमी0) समीपस्थ रेलवे स्टेशनः गोरखपुर (56 किमी0) एवं समीपस्थ बस स्टेशनः महराजगंज (50 किमी0)	तेंदुआ, बाघ, चीतल, काकड़, पाढ़ा, देशी भालू, वनबिलाव, नीलगाय, जंगली सुअर, मगर, अजगर कोबरा एवं विभिन्न पक्षी आदि	15 अक्टूबर से 15 जून	प्रभागीय वनाधिकारी, सोहागीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महराजगंज, फोन एवं फैक्सः 05523–250072

11.	सुहेलवा वन्य जीव विहार, बलरामपुर, श्रावस्ती व गोण्डा (452 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1988, समीपस्थ हवाई अड्डाः लखनऊ (256 कि0मी0)समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशन बलरामपुर (60किमी0)	तेंदुआ, बाघ, देसी भालू,चीतल, वन बिलाव, जंगली सुअर एवं विभिन्न पक्षी आदि	15 अक्टूबर से 15 जून	प्रभागीय वनाधिकारी, सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग,बलरामपुर, फोन एवं फैक्सः 05263– 233842
12.	कछुवा वन्य जीव विहार, रामनगर वाराणसी (7 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1989, समीपस्थ हवाई अड्डाः वाराणसी समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशन , वाराणसी	विभिन्न कछुए, गांगेय डालफिल एवं जलचर तथा विभिन्न पक्षी आदि	15 अक्टूबर से 15 जून	प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग,रामनगर, (चन्दौली) फोन एवं फैक्सः 0542– 2668231
13.	नवाबगंज जीव विहार, जनपद उन्नाव (2.25 वर्ग कि0मी0	वर्ष 1984, समीपस्थ हवाई अड्डाः लखनऊ (30 कि0मी0)समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशन कुसुम्बी(8 किमी0)	गीदड़, बन्दर, नेवला, खरगोश, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	उप वन संरक्षक, लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ, फोनः 0522–2716322
14.	समसपुर वन्य जीव विहार, रायबेरली (8 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1987, समीपस्थ हवाई अड्डाः लखनऊ (122)समीपस्थ रेलवे एवं, ऊँचाहार (25किमी0) समीपस्थ बस स्टेशनःसलोन (10 कि0मी0)	गीदड़, नेवला, खरगोश, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	उप वन संरक्षक, लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ, फोनः 0522–2716322
15.	लाखबहोसी वन्यजीव विहार, जनपद कन्नौज (80 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1988, समीपस्थ हवाई अड्डाः लखनऊ (200कि0मी0)समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनः कन्नौज (40 किमी0)	गीदड़, नेवला,नीलगाय, फिशिंग कैट, बन्दर विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	उप वन संरक्षक, लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ, फोनः 0522–2716322
16.	सांडी वन्य जीव विहार, हरदोई (3 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1990, समीपस्थ हवाई अड्डाः लखनऊ(142 कि0मी0) समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनःहरदोई, 19किमी0	गीदड़, नेवला,नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	उप वन संरक्षक, लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना, उ0प्र0,लखनऊ, फोनः 0522–2716322
17.	बखीरा वन्यजीव विहार, संत कबीर नगर (29 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1990, समीपस्थ हवाई अड्डाः लखनऊ (230 कि0मी0)समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनः संतकबीर नगर,20किमी0	गीदड़, नेवला,नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	प्र0 वनाधिकारी, सोहागीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महराजगंज, फोन एवं फैक्सः 05523–250072

18.	ओखला वन्यजीव विहार, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर (4 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1990, समीपस्थ हवाई अड्डाः दिल्ली (25 कि0मी0) समीपस्थ रेलवे स्टेशन दिल्ली (15 किमी0) बस स्टेशनःओखला (1 किमी0)	प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार, आगरा, फोन एवं फैक्सः (0562)–2320091
19.	समान वन्यजीव विहार जनपद मैनपुरी (5 वर्ग कि0मी0	वर्ष 1990, समीपस्थ हवाई अड्डाःआगरा (126 कि0मी0), समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनः मैनपुरी, (38कि0मी0)	गीदड़, खरगोश, नेवला,नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार, आगरा, फोन एवं फैक्सः (0562)–2320091
20.	पार्वती अरगा वन्य जीव विहार, जनपद गोंडा (11 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1990, समीपस्थ हवाई अड्डाःलखनऊ (145 कि0मी0),समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशन गोण्डा(40किमी0)	गीदड़, खरगोश, नेवला,नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	प्रभागीय वनाधिकारी, सुहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर । फोन एवं फैक्सः 05263–233842
21.	विजय सागर वन्य जीव विहार जनपद महोबा (3 वर्गकि0मी0)	वर्ष 1990, समीपस्थ हवाई अड्डाः कानपुर (190 कि0मी0)समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशन,महोबा (4 किमी0)	गीदड़, खरगोश, नेवला,नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	उप वन संरक्षक, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर फोन एवं फैक्सः 05442–253126
22	पटना वन्य जीव विहार, जनपद एटा (1 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1990, समीपस्थ हवाई अड्डाः आगरा (57कि0मी0)समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनःजलेसर (10 किमी0)	गीदड़, खरगोश, नेवला,नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव प्रभाग, आगरा फोन एवं फैक्सः 0562–2320091
23	सुरहाताल वन्य जीव विहार, जनपद बलिया (34 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 1990, समीपस्थ हवाई अड्डाः वाराणसी (150कि0मी0)समीपस्थ रेलवे एवं बस स्टेशनःबलिया (13किमी0)	गीदड़, खरगोश, नेवला,नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	प्रभागीय वनाधिकारी, बलिया वन प्रभाग, बलिया फोन एवं फैक्सः 05498–220847
24.	सूरसरोवर वन्य जीव विहार, आगरा, (4 वर्ग कि0मी0)	व र्ा 1991, समीपस्थ हवाई अड्डाः आगरा (29 कि0मी0)समीपस्थ रेलवः आगरा(20किमी0) एवं बस स्टेशनःसिकन्दरा	गीदड़, खरगोश, नेवला,नीलगाय, विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	दिसम्बर से फरवरी	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव प्रभाग, आगरा फोन एवं फैक्सः 0562–2320091

25	डा0 भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, प्रतापगढ़ (4.27 वर्ग कि0मी0)	वर्ष 2003	विभिन्न प्रवासी एवं स्थानीय पक्षी	शीत काल	प्रभागीय वनाधिकारी, प्रतापगढ़ फैक्सः 05342–220277
26	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर (75 है0), जनपद कानपुर ाहर (ऐलन फारेस्ट कानपुर)	2 फरवरी 1974	भारतीय गैण्डा, बारहसिंघा, मणिपुर हिरन, हिप्पो, उरंगऊटान व अन्य प्रजातियॉ	वर्ष भर	निदेशक, प्राणी उद्यान, कानपुर फोन एवं फैक्स (0512)– 2560257
27.	लखनऊ प्राणी उद्यान, लखनऊ (28.14 है0)	वर्ष 1921	शेर, सफेद शेर, भालू, हुक्कू बन्दर, सॉप, हाथी, हिरन, हिप्पो आदि	वर्ष भर	निदेशक, प्राणी उद्यान, लखनऊ फोन एवं फैक्स (0522)– 2239588